कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/एफ–1ए/सैटअप परिवर्तन/2016–17 दिनांक 13.6.2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,
....

विषयः– अधिशेष अध्यापकों के पदस्थापन पश्चात् कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– समसंख्यक पत्र दिनांक 01.06.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिशेष अध्यापकों एवं रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही जिला स्तर पर काउन्सलिंग कैम्प का आयोजन कर की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.06.2016 द्वारा समायोजित शिक्षकों के नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की अन्तिम तिथि दिनांक 15.06.2016 निर्धारित की गयी थी। उक्त निर्देशों की पालना (जिनके सम्बन्ध में पृथक से निर्देश दिये गये हैं, को छोड़कर) आवश्यक रूप से की जाये। जिन संस्थाप्रधानों द्वारा उक्त निर्देशों की पालना में समायोजित शिक्षक को विद्यालय से निर्धारित अन्तिम तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है एवं जिन समायोजित शिक्षकों द्वारा कार्यमुक्ति पश्चात् अन्तिम तिथि तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया जाता है उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब अमल में लायी जाये।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु प्रभावी प्रबोधन किया जाये।

13/6/16

(जे.सी.पुरोहित)
आई.ए.एस.
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
3. सिस्टम ऐनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)